रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 8, 1971 (वैशाख 18, 1893)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8, 1971 (VAISAKHA 18, 1893)

SECRETARIAT LIBRARY 3 JUN 1971 GOVT. OF INDIA

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8 February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	433
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	645
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	503
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1745
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	2309
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	319
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	567
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	149
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	63
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	1171
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	93
पूरक संख्या 18—	
24 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बधी साप्ताहिक रिपोर्ट	709
3 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	723

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	433
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government, Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	645
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	503
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . .	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (1)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . .	1745
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . .	2309
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . .	319
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . .	567
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . .	149
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	63
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1171
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . .	93
SUPPLEMENT No. 18	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 24th April 1971 . .	709
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 3rd April 1971	723

भाग I—खण्ड 1
(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 मार्च 1971

संकल्प

सं० 27/2/70-एन० एस०—इस विभाग के संकल्पों संख्या 27/2/70-एन० एस० दिनांक 25 जनवरी, 1971 तथा 22 फरवरी, 1971 में आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार डा० एन० ए० आशा, संयुक्त सचिव, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (सामुदायिक विकास विभाग), कृषि, भवन, नई दिल्ली, को इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए "विशेष पोषण कार्यक्रम" सम्बन्धी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पी० पी० आई० वैद्यनाथन, अवर सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 फरवरी 1971

संकल्प

सं० 25 (24)/ /70-बीज विकास—केन्द्रीय सरकार, तराई विकास निगम के परामर्श से तराई बीज विकास परियोजना की सलाहकार समिति के गठन सम्बन्धी संकल्प संख्या 25 (16)/68-बीज विकास, दिनांक 19 अप्रैल, 1969 के पैरा 2 की क्रम संख्या 12 और 13 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि एतद्द्वारा प्रतिस्थापित करती है :—

12 तथा 13 तराई विकास निगम के निदेशकों के मंडल द्वारा तराई क्षेत्र के दो निदेशकों (कृषक साझेदारों) को नामजद किया जाना है।

आदेश

आदेश दिया जाता हैं कि संकल्प की एक प्रति समिति के सब सदस्यों, भारत सरकार के सब मन्त्रालयों/विभागों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिवालय, योजना आयोग, मन्त्रीमंडल सचिवालय, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, सब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि सचिवों और खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के सब संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद पुस्तकालय (5 प्रतियां) और समस्त राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० कपिला, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 1971

संकल्प

सं० 2-6/70-भू० मु० अ०—संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने भूख तथा कुपोषण सम्बन्धी समस्याओं के विषय में विश्व जनमत तैयार करने के लिए 1960 में भूख-मुक्ति अभियान" चालू किया था, जिससे कि इन समस्याओं के निदान के लिए स्थायी तथा दीर्घकालीन कार्यवाही की जा सके। प्रारम्भ में इस अभियान को 5 वर्ष तक चलाने का विचार था लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र की प्रथम विकास दशाब्दी के साथ अनुरूपता रखने की दृष्टि से इसे दिसम्बर, 1970 तक बढ़ाया गया। दूसरी विकास दशाबदी के प्रारम्भ होने से, खाद्य और कृषि संगठन ने "भूख-मुक्ति अभियान" को 10 वर्ष की अधिक अवधि के लिए अर्थात् दिसम्बर, 1980 तक बढ़ा दिया।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सक्रिय सदस्य होने के नाते भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या 6-161 60-सी ई०, दिनांक 6 सितम्बर, 1960 के अनुसार विश्व-विस्तृत भूख मुक्ति अभियान में भाग लेने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान समिति तथा शासी मण्डल की स्थापना की थी। राष्ट्रीय अभियान समिति तथा इसके शासी मण्डल को भारत सरकार के संकल्प संख्य 2-2/65 फेम दिनांक 14 दिसम्बर, 1965 के अनुसार पुनर्गठन किया गया था, जिससे कृषि-उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारी प्रयत्न के रूप में भूख मुक्ति अभियान अधिक कार्य कर सके।

गत लगभग 10 वर्षों के दौरान, भारतीय भूख मुक्ति अभियान ने गैर सरकारी संस्थाओं के कृषि-उत्पादन के क्रिया-कलापों को बढ़ाने तथा समन्वित करने के लिए एक निकाय के रूप में कार्य किया। भारतीय भूख मुक्ति अभियान के इन विशिष्ट कार्यों की दृष्टि से उसकी संरचना का पुनर्गठन करना तथा उद्देश्य एवं नीतियों का स्पष्ट निरुपण करना आवश्यक था। इस प्रकार पुनर्गठन का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि इसको संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1967), के अन्तर्गत, जो संघ

राज्य क्षेत्र दिल्ली में भी लागू किया गया है, एक संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया। भारतीय भूख मुक्ति अभियान समिति के प्रथम शासी परिषद के निम्नलिखित सदस्य थे :—

1. अध्यक्ष	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री।
2. उपाध्यक्ष	अपर सचिव, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय ।
3. सदस्य सचिव	उप सचिव (विदेश सहायता), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय ।
4. सदस्य	भारत में नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स का एक प्रतिनिधि।
5. सदस्य	भारत कृषक समाज का एक प्रतिनिधि
6. सदस्य	ग्रामीण विकास के लिए ऐच्छिक एजेन्सियों के संघ का एक प्रतिनिधि।
7. सदस्य	खाद्य उत्पादन (एफप्रो) कार्यवाही का एक प्रतिनिधि।
8. पदेन सदस्य	संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का एक प्रतिनिधि।
9. सहायक सचिव	उपायुक्त, भूख मुक्ति अभियान, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय।

भारतीय भूख मुक्ति अभियान समिति के नियम एवं विनियम का नियम 4 निम्नलिखित है :—

"समिति की सदस्यता उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सरकार को समिति की सदस्यता से किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को अलग करने तथा उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार होगा।"

उपरोक्त नियम तथा भारतीय भूख मुक्ति अभियान समिति की शासी परिषद की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने भारतीय भूख मुक्ति अभियान समिति के निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करने का निर्णय किया है :—

अध्यक्ष	1. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्री।
उपाध्यक्ष	2. खाद्य और कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री
सदस्य	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मनोनीत व्यक्ति
	3. आंध्र प्रदेश
	4. असम
	5. बिहार
	6. गुजरात
	7. हरियाणा
	8. हिमाचल प्रदेश
	9. जम्मू तथा काश्मीर
	10. केरल
	11. मध्य प्रदेश
	12. महाराष्ट्र
	13. मैसूर
	14. उड़ीसा
	15. पंजाब
	16. राजस्थान
	17. तमिलनाडु
	18. उत्तर प्रदेश
	19. पश्चिम बंगाल
	20. नागालैंड
	ग्रामीण विकास से सम्बन्धित 15 गैर-सरकारी संस्थाओं के मनोनीत व्यक्ति
	21. नेशनल टनेज क्लब आफ फारमर्स
	22. भारत कृषक समाज
	23. ग्रामीण महिला संघ
	24. ग्रामीण विकास के ऐच्छिक एजेन्सियों का संघ
	25. यंग फारमर्स एसोसिएशन आफ इंडिया
	26. सर्व सेवा संघ की विकासशील ग्रामदान समिति
	27. अखिल भारतीय पंचायत परिषद
	28. भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान उरुली कंचन
	29. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
	30. खाद्य उत्पादन (एफप्रो०) कार्यवाही
	31. रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर
	32. बिहार राहत समिति
	33. उत्तर प्रदेश सूखा राहत समिति
	34. डी० ए० वी० महाविद्यालय न्यास तथा प्रबन्ध समिति
	35. वैशाली संघ, वैशाली (मजुफ्फरपुर) बिहार
	गैर-सरकारी संगठनों आवासीय क्षेत्रों के निकाय द्वारा नामित
	36. अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्
	37. केन्द्रीय सामाजिक कल्याण मण्डल
	38. भारतीय शिशु कल्याण परिषद
	औद्योगिक वाणिज्यिक एंव बैंकिंग सगठनों द्वारा नामित
	39. इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री फैडरेशन की कृषि उप-समिति
	40. भारत उर्वरक संघ
	41. भारत उर्वरक निगम
	42. कृषि वित्त निगम
	43. राष्ट्रीय बीज निगम
	44. राष्ट्रीय डेरी विकास मण्डल

विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्थानीय प्रतिनिधि

45. संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एंव कृषि संगठन
46. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु आपात राशि
47. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन
48. विश्व स्वास्थ्य संगठन
49. फोर्ड फाउन्डेशन
50. राकफैलर फाउन्डेशन

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों संस्थानों द्वारा नामित :

51. वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग)
52. वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
53. विदेश मन्त्रालय (अर्थ प्रभाग)
54. सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
55. विधि तथा समाज कल्याण मन्त्रालय (समाज कल्याण विभाग)
56. केन्द्रीय खाद्य तथा तकनीलोजिकल अनुसन्धान संस्थान, मैसूर
57. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली
58. शिक्षा तथा युवा सेवा मन्त्रालय (राष्ट्रीय सेवा कोर)

कृषि विभाग के सात अधिकारी

59. सचिव, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
60. अपर सचिव (समन्वय)
61. कृषि आयुक्त
62. पशु-पालन आयुक्त
63. उप-सचिव (विदेश सहायता)
64. जन-सम्पर्क निदेशक
65. उप-आयुक्त (भूख अभियान)।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 5 व्यक्ति (गैर-सरकारी) समिति के अध्यक्ष द्वारा सदस्य के रूप में उनकी व्यैक्तिक क्षमता के आधार पर नामजद किए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सब राज्य सरकारों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद कार्य विभाग, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, मन्त्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, भारत सरकार सब मन्त्रालयों, योजना आयोग, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भूख मुक्ति अभियान से सम्बद्ध सब संस्थाओं को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदीश चन्द्र माथुर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1971

संकल्प

सं० 18-2/71-ऋण तथा विपणन—केन्द्रीय शीतागार सलाहकार समिति के गठन करने के सम्बन्ध में, भारत सरकार, खाद्य और कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के संकल्प संख्या 21(27)(1)/64-तकनीकी 1, दिनांक 20-1-66 का आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय किया गया है कि उप निदेशक (प्रशीतन), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के स्थान पर, सहायक आयुक्त (प्रशीतन), खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) उपरोक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मृणाल कान्ति मुखर्जी, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 1971

संकल्प

सं० एफ० 13-4/68-एस० यू०—दिनांक 7 मई 1970 के साथ पहुंचाने वाले इस मन्त्रालय के संकल्प सं० एफ० 13-4/68-एस० यू० दिनांक 14 जनवरी, 1970 को जो अधिक्रमण करते हुए यह संकल्प किया जाता है कि दिनांक 1 जनवरी 1970 से एक केन्द्रीय संस्कृत परिषद का गठन किया जाए।

यह भी निश्चय किया जाता है कि परिषद का संगठन कार्यकाल एवं कार्यकलाप निम्नलिखित हों :—

(अ) संगठन

1. अध्यक्ष, शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री।
2. उप-अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा नामित।
3. सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री उनके नामित, जो जन शिक्षा निदेशक पद से नीचे के नहीं हों।
4. शिक्षा तथा युवक सेवा में मन्त्रालय द्वारा नामित लोक सभी के चार संसद सदस्य।
5. शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा नामित राज्य सभा के दो संसद सदस्य।
6. गुरुकुलों सहित प्रमुख स्वेच्छ संस्कृत संगठनों के 5 प्रतिनिधि।
7. शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय द्वारा नामित 5 प्रख्यात संस्कृत विद्वान।
8. वाराणसी और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयों के तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपतिगण।
9. केन्द्रीय संस्कृत संस्थानों के शासी निकायों के अध्यक्ष।
10. आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय।
11. सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि।
12. संयुक्त सचिव/युक्त शिक्षा सलाहकार (भाषा) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय।
13. अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग।
14. निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर।
15. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उनका नामित।
16. विशेष कार्य अधिकारी तथा पदेन उपशिक्षा सलाहकार (संस्कृत)

सचिव शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय सचिव।

(ख) कार्यालय—समिति में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल प्रथम जनवरी से जिस वर्ष में नियुक्ति हुई उस वर्ष में गणना करते हुए 3 वर्ष का होगा इस शर्त पर कि :—

(1) धाराओं 2 (4) तथा (5) के अधीन नामित सदस्य को संसद का सदस्य होना चाहिए ।

(2) परिषद के पदेन सदस्य उस अवधि तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर अब स्थित रहेंगे कि जिसके अधिकार से वे परिषद के सदस्य रहेंगे ।

(3) अन्य नामित भारत सरकार की इच्छानुसार सदस्य रहेंगे और

(4) यदि परिषद में किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु के कारण कोई क्ति होती है तो उस स्थान पर तीन वर्ष के कार्यकाल की अवशिष्ट अवष्टि के लिए नियुक्त किया गया सदस्य बना रहेगा ।

(ग) कार्यकलाप:—परिषद देश में संस्कृत के प्रचार तथा विकास सम्बन्धी नीति पर भारत सरकार को सलाह देगी ।

(2) विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षा के स्वरूप

(3) शिक्षा की पद्धति पाठशाला तथा निजी रूप से संगठित अनुसन्धान संस्थानों के सुधार के लिए तथा विकास के लिद्व अपनाए जाने वाली प्रणालियों के हेतु ।

(4) निवेदन किए जाने पर उच्च पाठशालाओं में अनुसन्धान विभागों के बढ़ाने तथा पाठशाला के विद्यार्थियों को अनुसन्धान छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाएं प्रदान करने के प्रश्न के सम्बन्ध में,

(5) संस्कृत की उन्नत पाठ्यक्रमों पुस्तकों के तैयार करने तथा प्रकाशन के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रणालियों के लिए,

(6) पंडितों के लिए राजकीय सम्मान और पुरस्कर आदि के विषय में तथो ऐसे सम्मान तथा पुरस्कारों के लिए प्रख्यात संस्कृत विद्वानों के नामों की सिफारिश ।

(7) संस्कृत के विकास तथा प्रसार के लिए सहायक अनुदानें के सम्बन्धित परिषद को संदर्भित मामलों में और

(8) सारे देश में विभिन्न स्थानों द्वारा संस्कृत अध्ययन सम्बन्धी कार्य का समन्वय करने के विषय के लिए ।

अपने कार्यकलापों के सुचारुरूप से चलाने के लिए, परिषद आवश्यकतानुसार समितियों/उप-समितियों की स्थापित कर सकती हैं । इन समितियों/उप-समितियों के सदस्य परिषद के अध्यक्ष नामित रहेंगे ।

परिषद समितियों उप-समितियों की बैठकों के लिए परिषद समिति/उप-समितियों के कुल सदस्यों को एक तिहाई कार्यवाह संख्या होनी चाहिए ।

कांति चौधरी, संयुक्त सचिव

आदेश

स० ए० 13-4/68-एस० यू० दिनांक मार्च, 1971—आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासन लोक सभा सचिवालय मन्त्रिमंडल सचिवालय प्रधानमन्त्री सचिवालय-संसदीय कार्यविभाग/तथा भारत राज्य सभा सचिवालय योजना आयोग राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों को भेजी जाएं ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सामान्य सूचना के सलिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

विशेष कार्य अधिकारी तथा पदेन उप-शिक्षा अधिकारी

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 11th March 1971

RESOLUTION

No. 27/2/70-*NS*.—In partial modification of this Department's Resolutions No. 27/2/70-NS, dated 25th January, 1971 and 22nd February, 1971, the Government of India nominate Dr. N. A. Agha, Joint Secretary, Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Cooperation (Department of Community Development), Krishi Bhavan, New Delhi, to be a member of the Advisory Committee for the 'Special Nutrition Programme' for a period of one year from the date of this Resolution.

ORDER

ORDERED that the above resolution be published in the Gazette of India.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 15th February 1971

RESOLUTION

No. 25(24)70-*SD*.—The Central Government in consultation with the Tarai Development Corporation hereby *substitutes* the following entry against S. No. 12 and 13 of para 2 of Resolution No. 25(16)/68-SD, dated the 19th April, 1969 constituting Advisory Committee of the Tarai Seed Development Project :—

12 & 13 Two Directors (farmer shareholders) of the Tarai Area to be nominated by the Board of Directors of the Tarai Development Corporation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all Members of the Committee, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Agriculture Secretaries of all States and Union Territories, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies) and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. KAPILA, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 6th April 1971

No. 2-6/70-*FFHC*.—The Food & Agriculture Organisation of the United Nations launched Freedom From Hunger Campaign in 1960 for creating climate of informed World opinion on the problems of hunger and malnutrition with a view to organising a sustained and lasting attack on it. The Campaign which was originally intended to be operative for 5 years, was

extended up to December, 1970 to coincide with the First Development Decade of the United Nations. With the launching of the Second Development Decade the FAO extended the FFHC for a further period of 10 years up to December, 1980.

As an active Member of the FAO of the United Nations the Government of India set up a National Campaign Committee and a Governing Board to plan participation in the World-wide Freedom From Hunger Campaign *vide* its Resolution No. 6-16/60-CE, dated the 6th September, 1960. The National Campaign Committee and its Governing Board were re-constituted by means of the Government of India's Resolution No. 2-2-/65-FAME, dated the 14th December, 1965, so as to make the Freedom From Hunger Campaign more closely identified with the non-governmental endeavour in the field of agricultural production.

During the last nearly 10 years the Indian Freedom From Hunger Campaign has grown into a body promoting and co-ordinating agricultural production activities of non-governmental organisations. This distinctive role of the Indian (FFHC) called for the re-organisation of its structure and a clear enunciation of its objectives and policies. A major consequence of the reorganisation thus undertaken was its registration as a Society under the Societies Registration Act of 1860 (Punjab Amendment Act 1967) as extended to the Union Territory of Delhi with the following members of the First Governing Council of the Indian FFHC Society :—

Chairman

1. Minister for State in the Ministry of Food & Agriculture, C.D. & Cooperation.

Vice Chairman

2. Additional Secretary, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.

Member Secretary

3. Deputy Secretary (Foreign Aid), Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Cooperation.

Members

4. A representative of the National Tonnage Club of Farmers in India.
5. A representative of Bharat Krishak Samaj.
6. A representative of Association of Voluntary Agencies for Rural Development.
7. A representative of Action for Food Production (AFPRO).

Ex-officio Member

8. A representative of Food & Agriculture Organisation of United Nations.

Assistant Secretary

9. Deputy Commissioner, Freedom From Hunger Campaign Ministry of Food, Agriculture, C.D. & Cooperation.

The Rule 4 of the Rules and Regulations of the Indian Freedom From Hunger Campaign Society reads as under :—

"The Membership of the Society shall be limited to those persons who are so appointed by the Government of India. The Government shall be entitled to remove a person at any time from membership of the Society and appoint another in his place".

In accordance with the above rule and on the recommendations of the Governing Council of the India FFHC Society the Government of India have decided to appoint the following as Members of the Indian Freedom From Hunger Campaign Society :

President

1. Minister for Food, Agriculture, C.D. & Cooperation.

Vice-President

2. Minister of State for Food & Agriculture.

Members

Nominees of the States & Union Territories

3. Andhra Pradesh.
4. Assam.
5. Bihar.
6. Gujarat.
7. Haryana.
8. Himachal Pradesh.
9. Jammu and Kashmir.
10. Kerala.
11. Madhya Pradesh.
12. Maharashtra.
13. Mysore.
14. Orissa.
15. Punjab.
16. Rajasthan.
17. Tamil Nadu.
18. Uttar Pradesh.
19. West Bengal.
20. Nagaland.

Nominees of the 15 Non-Governmental Organisations concerned with Rural Development

21. National Tonnage Club of Farmers.
22. Bharat Krishak Samaj.
23. Gramin Mahila Sangh.
24. Association of Voluntary Agencies for Rural Development.
25. Young Farmers Association of India.
26. Society for Developing Gramdan of Sarva Seva Sangh.
27. All India Panchayat Parishad.
28. Bhartiya Agro Industries Foundation, Uruli Kanchan.
29. National Cooperative Union of India.
30. Action for Food Production (AFPRO).
31. Rama Krishna Mission Ashram, Narendrapur.
32. Bihar Relief Committee.
33. U.P. Drought Relief Committee.
34. D.A.V. College Trust and Management Society.
35. Vaishali Sangh, Vaishali (Muzaffarpur) Bihar.

Nominees of non-Governmental Organisations/Bodies in Urban areas

36. All India Women's Food Council.
37. Central Social Welfare Board.
38. Indian Council of Child Welfare.

Nominees of Industrial, Commercial and Banking Organisations

39. Agricultural Sub-Committee of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
40. Fertiliser Association of India.
41. Fertiliser Corporation of India.
42. Agricultural Finance Corporation.
43. National Seeds Corporation.
44. National Dairy Development Board.

Local Representatives of the Foreign and International Organisations

45. FAO of the United Nations.
46. U.N.I.C.E.F.
48. World Health Organisation.
47. UNESCO.
49. Ford Foundation.
50. Rockfeller Foundation.

Nominees of the Union Ministries and Departments/Institutes

51. Ministry of Finance (Department of Expenditure).
52. Ministry of Finance (Department of Economic Affairs).
53. Ministry of External Affairs (Economic Division).
54. Ministry of Information & Broadcasting.
55. Ministry of Law & Social Welfare (Department of Social Welfare).
56. Central Food and Technological Research Institute, Mysore.
57. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
58. Ministry of Education and Youth Services (National Service Corps).

Seven officials of the Department of Agriculture

59. Secretary, Agriculture, C.D. & Cooperation.
60. Additional Secretary (C).
61. Agricultural Commissioner.
62. Animal Husbandry Commissioner.
63. Deputy Secretary (FA).

64. Director of Public Relations.

65. Deputy Commissioner (FFHC).

In addition to the above, 5 persons (non-officials) will be nominated as members in their personal capacity by the President of the Society.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all State Governments, Lok Sabha Secretariate, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, the Private and Military Secretaries to the President, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister Secretariat, the Vice-President's Secretariat, All Ministries of the Government of India, Planning Commission, the Auditor General of India and all Organisations connected with the FFHC.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J. C. MATHUR, Addl. Secy.

New Delhi, the 19th April 1971

RESOLUTION

No. 18-2/71-C&M.—In partial modification of the Govern- of India, Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) Resolution No. 21 (27)(1)/64-Tech. I, dated 20-1-1966, constituting the Central Cold Storage Advisory Committee, it has been decided that Assistant Commissioner (Refrigeration), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Agriculture) shall be the Member-Secretary of the said Committee *vice* Deputy Director (Refrigeration), Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, (Department of Food).

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. MUKHERJI, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 16th April 1971

RESOLUTION

No. F.13-4/68-SU.—In supersession of this Ministry Resolution No. F.13-4/68-SU, dated the 14th January, 1970 read with corrigendum No. F.13-4/68-SU, dated 7-5-1970, it is hereby resolved to constitute a Kendriya Sanskrit Parishad with effect from 1st January, 1970.

2. It is further resolved that the composition, tenure and functions of the Parishad will be as follows :—

(a) *Composition*

(i) Chairman-Minister of Education & Youth Services.

(ii) Vice-Chairman to be nominated by the Chairman.

(iii) Education Ministers of all States or their nominees, not below the rank of the Director of Public Instruction.

(iv) Four members of the Lok Sabha to be nominated by the Ministry of Education and Y.S.

(v) Two members of the Rajya Sabha to be nominated by the Ministry of Education and Y. S.

(vi) Five representatives of the leading voluntary Sanskrit Organisations including Gurukulas to be nominated by the Ministry of Education & Youth Services.

(vii) Five eminent sanskrit scholars to be nominated by the Ministry of Education & Y.S.

(viii) Vice-Chancellors, Sanskrit Universities at Varanasi and Darbhanga and Gurukul Kangri Vishwavidyalaya.

(ix) Chairman, Governing Bodies, Central Sanskrit Institutes.

(x) Internal Financial Adviser, Ministry of Education & Y.S.

(xi) A representative of the Ministry of Information and Broadcasting.

(xii) Joint Secretary Joint Educational Adviser (languages), Ministry of Education and Y.S.

(xiii) Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology.

(xiv) Director, Central Institute of Indian Languages. Mysore.

(xv) Chairman University Grants Commission or his nominee.

(xvi) O.S.D. & Ex-Officio Deputy Educational Adviser (Skt.) Ministry of Education & Y.S.—Secretary

(b) *Tenure*

The tenure of the official and non-official members of the samiti shall be three years calculated from the 1st January, of the year in which the appointment is made provided that

(i) a member nominated under clauses 2(iv) and (v) shall be a member of Parliament;

(ii) the ex-officio members of the Parishad shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Parishad;

(iii) other nominated members shall hold office during the pleasure of the Government of India; and

(iv) if a vacancy arises on the Parishad due to resignation death etc. of a member, the member appointed in that Vacancy shall hold office for the remaining period of the tenure of three years.

(c) *Functions*

(i) The Parishad will advise the Government of India on matters of policy pertaining to the propagation and development of Sanskrit in the country;

(ii) regarding patterns of Sanskrit Education at different levels, coordination of courses, teaching and similar activities, standardisation of syllabuses, examinations and degrees, qualifications of different, types of teachers and their training arrangements;

(iii) regarding methods to be adopted for the improvement and development of Pathshala system of education and privately organised research institutions;

(iv) when requested, on the question of adding research departments to higher Pathshalas and awarding research scholarships and stipends to the students of Pathshalas;

(v) on the methods to be adopted for the preparation and publication of improved Sanskrit textbooks;

(vi) regarding the State Honours and Awards for Pandits and to recommend names of eminent Sanskrit scholars for such Honours and Awards;

(vii) on matters referred to the Parishad relating to grants-in-aid for the development and propagation of sanskrit; and

(viii) regarding coordination of the work relating to Sanskrit studies, which is being done by different institutions all over the country.

3. *Samitis*

The Parishad may set up Samitis/Up-samitis as it may deem necessary for the proper discharge of its functions.

The members of these Samitis/Up-samitis shall be nominated by the Chairman of the Parishad.

4. *Quorum*

The quorum for the meetings of the Parishad/Samitis/Up-samitis shall be one-third of the total membership of the Parishad/Samiti/Up-samiti.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971